न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 483/2024

श्रीमति सुमन देवी पत्नी अनिल जाति जाट निवासी ग्राम श्योनाथपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

– वादिया

बनाम

1. उम्मेद सिंह पुत्र रतीराम जाति जाट
2. कौशल्या देवी पत्नी रामावतार जाति मीणा
3. चिड़िया देवी पत्नी लक्ष्मणराम जाति मीणा
4. बजरंगलाल पुत्र ध्याला जाति जाट
5. बनारसी देवी पत्नी रामजीलाल जाति मीणा
6. मूली देवी पत्नी श्योकुमार जाति मीणा
7. सुवटी उर्फ सुवा पत्नी रोहिताश कुमार जाति मीणा

– समस्त निवासीगण सीथल तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं।

8. भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ एवं विभाजन
निर्णय

दिनांक 30/5/25

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके राजस्व ग्राम सीथल की सरहद में आराजी भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 1.50 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त आराजी में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी व काश्तकारी की कृषि भूमि है, जिसमें वादिया का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्तानुसार ही वादिया का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन करवाने के लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को काफी बार सहमति से विभाजन करवाने के लिए कहा गया था। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने सहमति से विभाजन करवाने के लिए तहसील कार्यालय गुढागौड़जी में एक साथ उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की और वादिया को कहा कि वादिया विधिवत् विभाजन करवाना चाहती है तो सक्षम न्यायालय से वाद पत्र पेश कर विधिवत् विभाजन करवाये। वादिया को स्वयं के हक हिस्से की भूमि में उन्नत कृषि करने के लिए व स्वयं के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में तारबन्दी इत्यादि करने के लिए वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का विधिवत् विभाजन करवाना जरूरी होने के कारण वादिया की ओर से मौजुदा वादपत्र विधिवत् विभाजन हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त विवादित आराजी में वादिया 1/4 हक हिस्से कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है। तदानुसार वादिया एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 के मध्य विधिवत विभाजन करवाकर खाता अलग–अलग कायम कर लगान अलग–अलग किये जाने के वादिया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। अन्त में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम सीथल में कृषि भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 1.50 है0 भूमि में से मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार वादिया को 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी भांति अलग–अलग खाता विभाजन किया जाकर खाता खतौनी पास बुक जारी की जावे।

मूल वाद को दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबंद किया गया। मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6, 9 व 12 बावजुद तामिल अनुपस्थित। तामिली विधिवत् पूर्ण होने के पश्चात् सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी पक्षकार अपना पक्ष नहीं रखते है या अनुपस्थित होते हैं, तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत् एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत् तामिल होने के पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6, 9 व 12 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हे EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 8 व 7

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

की ओर से एडवोकेट धर्मवीर मीणा ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाव दावा पेश कर कथन किया कि मुताबिक कब्जा काश्त व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज हक व हिस्सा अनुसार खाता विभाजन किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 व अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 873 रकबा 0.03 है0 के अनुतोष को विड्रा करने व प्रतिवादी पक्षकार संख्या 6, 7 व 9 लगायत 12 के नाम हटाने बाबत् व वादिया के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 1.50 है0 में दर्ज 1/4 हक हिस्से बाबत् संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई। उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव प्रतिवादी वकील से प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 व अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया तथा वादिया की ओर से संशोधित वादपत्र पेश किया गया जिसका विवरण निर्णय के प्रथम पैरेग्राफ में किया गया है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस उभयपक्ष श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने जबाव दावा के तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया है कि मुताबिक कब्जा काश्त व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज हक व हिस्सा अनुसार खाता विभाजन किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादिया द्वारा राजस्व ग्राम सीथल में की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 1.50 है0 भूमि में से मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार वादिया को 1/4 हक हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग–अलग खाता विभाजन करने का अनुतोष चाहा गया है। समस्त तथ्यों के आधार पर वाद वादिया स्वीकार किया जाना सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम सीथल तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 1.50 है0 भूमि में से वादिया को 1/4 हक हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त भूमि में रास्ते का प्रावधान रखते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुढा गौडजी को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादिया के मुताबिक घोषणा वादिया के 1/4 हक हिस्से एवं प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार गुढागौडजी को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव की प्रतिक्षा में दिनांक 16/6/23 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान सुमन बनाम उम्मेद वगैरह

मुकदमा नं. : 483/2024 निर्णय दिनांक : 30/5/25

वकील वादिया राजेन्द्र सिंह बुडानियां की उपस्थिति में वाद वादिया स्वीकार किया जाकर ग्राम सीथल तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 1.50 है0 भूमि में से वादिया को 1/4 हक हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त भूमि में रास्ते का प्रावधान रखते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुढा गौडजी को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादिया के मुताबिक घोषणा वादिया के 1/4 हक हिस्से एवं प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार गुढागौडजी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर,
झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	3	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर,
झुन्झुनू